संख्या-54/2016/1442/35-3-2016-1(51)/2015

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 27 जून, 2016

विषयः राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी क्षेत्रीय कार्य के उपरांत क्षेत्र से प्राप्त संशोधनों एवं नए व्यक्तियों को डेटाबेस में समाहित करने संबंधी प्रारम्भिक तैयारियों के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अवगत होना चाहें कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी क्षेत्रीय कार्य की समाप्ति के उपरांत गणना ब्लाकसार की ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य एन0आई0सी0 के पोर्टल पर पूर्ण कराने के निर्देशों के क्रम में समस्त जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण से यह अपेक्षित है कि कार्य के अगले चरण के ऑकडा संशोधनों/ समावेश (डाटा एंट्री) हेतु जारी शासन के पत्र संख्या-48/2016/1144/35-3-2016-1(51)/2015, दिनांक 08.06.2016 का संज्ञान लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर समस्त चार्ज अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि एनपीआर बुकलेट की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान मौसम के परिप्रेक्ष्य में वर्षा, सीलन एवं दीमक इत्यादि से एनपीआर बुकलेट को सुरक्षित रखा जाय तथा इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासन की अधिसूचना संख्या-36/2015/1389/ 35-3-2015-1(50)/2015, दिनांक 26.10.2015 द्वारा संबंधित जनपदों के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारियों को अतिरिक्त् जिला रजिस्टार नागरिकता पंजीकरण नामित किया गया है, इन नामित जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को अपने जनपद में शुरू किये जाने वाले अगले चरण में डाटा एंट्री कार्य हेतु नोडल अधिकारी भी नामित करें एवं इन्हें अगले चरण के प्रशिक्षण, डाटा सेंटर की स्थापना, सुपरवाइजर की तैनाती एवं चार्ज से डाटा सेंटर पर रिकार्ड का आवागमन इत्यादि के लिए अनुश्रवण, पर्यवेक्षण तथा जिला प्रशासन को उक्त से अवगत कराने का दायित्व भी दिया जाये।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विदित होगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य की गुणवत्ता एवं ऑकडों की सुदृढता हेतु कम्प्यूटर में दक्ष अधिकारियों को जिला प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाना आवश्यक है।

2- इस संबंध में अनुरोध है कि आप राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नगत कार्यक्रम को समयबदध रूप से सम्पन्न करवाने हेतु उपरोक्त कार्यवाहियॉ अविलम्ब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-54 /2016/1442 (1)/35-3-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए मानसिंह रोड,नई दिल्ली-110011
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि वे कृपया अपने स्तर से भी समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारियों को यथोचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. संयुक्त निदेशक,जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र सं0-डीसीओ-यूपी/35-2016/एनपीआर-283, दिनांक 22 जून, **2016** के संदर्भ में।

आज्ञा से

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।